

न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

::आदेश ::

क्रमांक:- 48/अ-59/2017-18/ 52 53

बैतूल दिनांक 26/04/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, सरपंच ग्राम पंचायत मँगोनाखुर्द जनपद पंचायत प्रभातपट्टन तहसील मुलताई द्वारा, मौजा मँगोनाखुर्द स्थित खसरा नंबर 60 एवं 71 रकबा क्रमशः 3.322 व 0.287 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

2- ग्राम पंचायत मँगोनाखुर्द के उक्त प्रस्ताव के आधार पर नायब तहसीलदार मुलताई (वृत्त प्रभातपट्टन) द्वारा विधिवत् कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुलताई के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई है:-

(1)- मौजा मँगोनाखुर्द तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 60 एवं 71 रकबा क्रमशः 3.322 व 0.287 हेक्टेयर मद चरनोई की नोईयत परिवर्तन कर आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)- दिनांक 26-12-2017 को आयोजित ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव क्रमांक- 09 पारित किया जाकर मौजा मँगोनाखुर्द तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 60 एवं 71 रकबा क्रमशः 3.322 व 0.287 हेक्टेयर को आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

(3)- राजस्व अभिलेख (खसरा) वर्ष 2017-18 के अनुसार मौजा मँगोनाखुर्द तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 60 एवं 71 रकबा क्रमशः 3.322 व 0.287 हेक्टेयर, भूमि घाँस मद में दर्ज है, अधिकार अभिलेख वर्ष 1972-73के अनुसार उक्त दोनो खसरा नंबर घाँस मद में दर्ज है।

(4)- प्रकरण में संलग्न पटवारी प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम मँगोनाखुर्द का मकबूजा रकबा 415.160 हेक्टेयर है, तथा ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा 44.961 हेक्टेयर है। ग्राम के मकबूजा रकबा के 2 प्रतिशत के मान से ग्राम में चरनोई का न्यूनतम रकबा 08.303 हेक्टेयर उपलब्ध होना अनिवार्य है। ग्राम में उपलब्ध चरनोई के रकबे में से 3.609 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित किए जाने के उपरांत भी चरनोई का न्यूनतम रक्षित रकबा प्रभावित नहीं होगा।

(5)- उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति के आधार पर नायब तहसीलदार मुलताई(वृत्त प्रभातपट्टन) /अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई द्वारा मौजा मँगोनाखुर्द स्थित खसरा नंबर 60 एवं 71 रकबा क्रमशः 3.322 व 0.287 हेक्टेयर मद चरनोई को आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

3- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की 237 की उपधारा- (3) के अनुसार चारागाह, घाँस, बीड़ या चारे के लिए आरक्षित की भूमि को उस ग्राम की कुल कृषिक भूमि के न्यूनतम दो प्रतिशत तक सुरक्षित रखने के पश्चात् दखल रहित भूमि को आबादी, सड़को, राजमार्गों, नहरो, तालाबो, अस्पतालो, विद्यालयो, महाविद्यालयो, गौशालाओ, के निर्माण या राज्य शासन द्वारा अन्य किसी जन उपयोगी परियोजनाओ के लिए

व्यवहारीत किया जा सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक- 2011/अधी./10842, दिनांक 8-11-2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांक:- 2489 दिनांक 25-2-2017



द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4- प्रकरण की उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति, नायब तहसीलदार मुलताई(वृत्त प्रभातपट्टन) /अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा मँगोनाखुर्द तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 60 एवं 71 रकबा क्रमशः 3.322 व 0.287 हेक्टेयर (कुल 03.609 हेक्टे.)मद चरनोई को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास बनाया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।



(मूलचन्द्र वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल. 23/4/18

बैतूल दिनांक 26/04/2018

पू0क्र0:- 48/अ-59/2017-18/ 5253

प्रतिलिपि:-

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई की ओर सूचनार्थ।
- 2- नायब तहसीलदार मुलताई (वृत्त प्रभातपट्टन) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।
- 3- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
- 4- जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 5- सचिव ग्राम पंचायत मँगोनाखुर्द जनपद पंचायत प्रभातपट्टन की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल. 23/4/18